न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–10/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कुन्दनलाल पुत्र श्री रामचन्दर सोनी जाति सुनार निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट/प्रार्थी

बनाम

1. अंगूरी देवी पुत्री श्री रामचन्दर सोनी निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0 हाल निवासी रंगभरियान की गली, अलवर तहसील व जिला अलवर राज0।
2. कालया पुत्र मूल्या जाति प्रजापत निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राज0।
4. सहायक कलक्टर अलवर जिला अलवर राज0।

.....रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री गोविन्द सिद्ध, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गोविन्द राम यादव, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–11.12.2019

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी रेस्पो0 ने तहत अदालत में दावा बाबत तकसीम आराजी व हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 1353 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0 में स्थित है वादनी/रेस्पो0 अंगूरी देवी के पिता उपरोक्त आराजी खसरा नंबर 1353 के खातेदार काश्तकार थे और उनकी मृत्यु के बाद विरासत का इंतकाल नंबर 1508 विद्या देवी पत्नी रामचन्दर व 1/5 हिस्सा व उनकी संतान कुन्दन लाल, अंगूरी देवी, अनिता व सुनीता पुत्रियान रामचन्दर के नाम दिनांक 21.07.2014 को स्वीकार किया गया एवं विद्या देवी की मृत्यु के बाद जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

रिलीज डीड इन्तकाल नंबर 1509 दिनांक 05.08.2015 की रिलीज डीड के मुताबिक अनिता व सुनीता पुत्रीयान रामचन्दर ने अपना समभाग हिस्सा 1/2 अंगूरी पुत्री रामचन्दर कौम सुनार सहखातेदार को दे दिया इस प्रकार वादनी अंगूरी देवी कुल हिस्से की 3/4 की मालिक काबिज है और खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट कुन्दनलाल 1/4 हिस्से का काबिज काश्तकार खातेदार है और उक्त विवादित आराजी संयुक्त अविभाजित आराजी है उक्त विवादित आराजी पर वादनी रेस्पो0 अपनी बोई हुई फसल को संभालने जाती है तो प्रतिवादी अपीलांट मारपीट कर भगा देता है।अतः आराजी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 1353 रकबा 0.57 है0 में से वादिनी के 3/4 हिस्से की आराजी जरिये तकसीम अलग करायी जावे।

उक्त प्रकरण की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर अलवर की लोक अदालत कैम्प कोर्ट पृथ्वीपुरा में दिनांक 30.06.2015 को पेश हुई जिसमें अप्रार्थीगण को बिना सुने हुये ही साज बाज होकर महज कैम्प की पूर्ति करने के लिये निर्णय पारित किया गया कि "खसरा नंबर 1353 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारा अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें उभय पक्ष की उपस्थिति में कुर्रेजात कायम करें" का पारित किया गया और प्रारम्भिक डिक्री तैयार की गई।सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 30.06.2015 की निगरानी याचिका न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान में निगरानी याचिका टीए संख्या 3327/2016 जिला अलवर पेश की गई जिसे माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2017 के अनुसार अप्रार्थीगण निगरानीकार ने प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सहायक कलक्टर अलवर द्वारा अप्रार्थीगण को बिना सुने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर संबंधित तहसीलदार को उभयपक्ष की उपस्थिति में कुर्रेजात कायम करने के आदेश दिये हैं। प्रारंभिक डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसमें राजस्व मंडल में यह निर्णय हुआ कि उक्त आदेश के खिलाफ प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में चलने योग्य है तथा प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 230 सपठित धारा 221 के तहत मंडल में प्रस्तुत की गई है जो चलने योग्य नही होने से खारिज की जावे। प्रार्थी यदि उक्त निर्णय से व्यथित था तो उसे अपीलीय न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी।प्रार्थी अपीलांट के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 से निगरानी याचिका न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में पेश की गई जो दिनांक 12.07.2017 को खारिज कर दी गई तथा वर्णित आदेश में बताया गया कि सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 30.06.2015 की प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में पेश की जावे। जिस आदेश दिनांक 30.06.2015 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि प्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

अपीलांट के खिलाफ विधि विरूद्ध आदेश अधीनस्थ अदालत द्वारा पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा निर्णय किये जाने से पूर्व मिन प्रार्थी अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया इसलिये तहत अदालत का निर्णय अपास्त फरमाये जाने के काबिल है। तहत अदालत द्वारा मिन प्रार्थी अपीलांट को सुनने से पूर्व कोई नोटिस जारी नही किया और ना ही प्रार्थी अपीलांट को जबाव देने का अवसर दिया गया एवं खिलाफ कानून तहत अदालत ने आदेश पारित किया है। तहत अदालत द्वारा बिना विधिक प्रकिया का पालन किये, पत्रावली का सही से अवलोकन किये बिना ही अपना निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत सहायक कलक्टर अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 को अपास्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में ही लोक अदालत में यह प्रारम्भिक डिक्री का आदेश जारी किया है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट बनाने के आदेश जारी किये हैं। अपीलांट की निगरानी भी माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने खारिज कर न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी में चाराजोही करने का निर्देश दिया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 का अवलोकन किया।

विवादित आराजीयात पैतृक संपत्ति है जो वादिनी के पिता की है। वादिनी के पिता के विरासत इंतकाल 1508 दिनांक 21.07.2017 द्वारा खोला गया, वह विधि के अनुकूल है तथा तत्पश्चात अंगूरी/रेस्पो0 के पक्ष में अनिता व सुनीता द्वारा उनके हक–हिस्से की आराजीयात की रिलीज डीड तहसीलदार के समक्ष की गई है, जो कि विधिक रूप से सही है।

तहत अदालत द्वारा सहकाश्तकारों के मध्य में मीट्स एंड बाउण्ड के आधार पर जो कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने बाबत प्रारम्भिक डिक्री पारित की है, उसमें विधिक रूप से किसी प्रकार की त्रुटि नही पाई गई। इसलिए अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधार पर काबिल खारिज के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 यथावत रखी जाती है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)